2007: CGHC:10699

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिकअपील क्र. 383, 1999

प्रेम राम @ प्रेम
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ प्रस्तुत

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश
15.01.2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति एल.सी. भादू
सही /-
(कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश)
16.01.2007

निर्णय हेतु : 17 01.2007 को सूचीबद्ध करें |
सही/-
न्यायाधीश
16.01.2007

2007: CGHC:10699

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक अपील क्र. 383, वर्ष 1999

प्रेम राम @ प्रेम
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थिति:

श्री गौतम खेत्र पाल,अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री आशीष शुक्ला,राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक

युगलपीठ

माननीय कार्यकारी न्यायमूर्ति श्री एल.सी.भादू

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(17.01.2007)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा दिया गया :

(1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुर द्वारा दिनांक 03.12.1998 को सत्र विचारण क्रमांक 125/1998 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरुद्ध है, जिसमें न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 302 भा.द.सा के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया तथा आजीवन कारावास और 5000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया, जिसका भुगतान न कर पाने पर आगे पाँच वर्षों के साधारण कारावास से दंडित किया।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि के, मृतका मनपति बाई, जो कि अभियुक्त की दूसरी पत्नी थीं, वो हीरो राम यादव (अ.सा. क्र.1) की पुत्री थीं। वे एक ही ग्राम पालेपखाना डुमारिया के निवासी थे। अभियुक्त ने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी को लाया था, जो की उसके दो बच्चों के साथ उसी के साथ निवास कर कर रही थी। शुरुआत में अभियुक्त और मृतका के संबंध स्नेहपूर्ण थे, किंतु कुछ समय बाद अभियुक्त ने मृतका के साथ मारपीट करनी आरंभ कर दी और उसे उसके माता-पिता के घर जाने के लिए दबाव बनाने लगा।दिनांक 14.04.1998 को मृतका ग्राम सरपंच सीताराम पैकरा (अ. सा.क्र.6) के पास गई और मृतका के निर्देशानुसार

2007: CGHC:10699

सरपंच द्वारा एक परिवाद लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया कि दिनांक 12.04.1998 को सुबह लगभग 10 -11 बजे, जब अभियुक्त महुआ फल तोड़कर घर लौट रहा था,तो उसने चाय बनाई एवं मृतिका को परोसा। मृतका ने देखा कि चाय में कोई काला पाउडर जैसा पदार्थ तैर रहा था, जिससे उसे आशंका हुई कि उसमें ज़हर मिलाया गया है। अभियुक्त से पूछने पर, अभियुक्त ने कहा कि वह दूध का पाउडर है, और उसने उसके हाथ से चाय छीन ली और उसे फेंक दिया। मृतका ने देखा कि चाय के गिलास के तल में कुछ अवशेष था, जिसे उसने सुकल साय को दिखाया।

इसके बाद, 14 से 15 अप्रैल, 1998 की मध्यरात्रि लगभग 2 बजे, अभियुक्त का बड़ा भाई धरम खाडिया मृतका के पिता के घर गया और सूचित किया कि उनकी पुत्री (मृतका) की सुबह के लगभग 2 बजे हैजा, उल्टी और दस्त के कारण मृत्यु हो गई है। चूँकि मृतका के पिता हीरो राम ने यह देखा था कि इस सूचना से एक दिन पूर्व मृतका पूरी तरह स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट थी तथा उसी दिन मृतका और अभियुक्त के बीच झगड़ा भी हुआ था, इसलिए उसने इस सूचना पर संदेह किया,और वह सरपंच, कोटवार तथा गांव के अन्य व्यक्तियों जैसे भदरसाय कंवर (अ.सा.क्र.4) और भीम यादव (अ.सा.क्र.2) के पास गया और उन्हें सब कहानी सुनाई और सभी मिलकर अभियुक्त के घर शव देखने के लिए गए।जब सब अभियुक्त के घर पहुँचे तो उन सब ने देखा कि अभियुक्त और उसके परिवार के अन्य सदस्य मृतका का शव एक कमरे के अंदर रखे हुए थे और वह कमरे का बाहर से ताला लगाकर किसी को भी शव देखने की अनुमति नहीं दे रहे थे। अंततः ग्रामीणों के काफी दबाव डालने पर, 15-16 अप्रैल 1998 की मध्यरात्रि लगभग 3 बजे के आसपास, उन्होंने दरवाज़ा खोला और ग्रामीणों को शव देखने की अनुमति दी। अगले दिन, अर्थात् 16.04.1998, को अन्य लोगो ने भी शव देखा और इसके पश्चात् मृतका के पिता, हीरो राम (अ.सा.क्र. 1) ने सुबह लगभग 8:30 बजे मर्ग सूचना क्रमांक 8/1998 पुलिस थाना में (प्र.पी. 1) के अनुसार दर्ज करवाई । मर्ग सूचना दर्ज होने के बाद, विवेचना अधिकारी म.स. ठाकुर (अ.सा.क्र.9) उसी घटना स्थल के लिए रवाना हुए और लगभग सुबह 11 बजे पहुँचे। उन्होंने मृतका के शव कि मृत्यु समीक्षा प्र.पी.-7 तैयार किया और उसी दिन शव को शव परीशा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसाबहार, भेजा, जिस पर डॉ.(श्रीमती) किरण केरकट्टा (अ. सा.क्र. 7) ने दिनांक 17.4.1998 को शव परिशा किया एवं अपनी रिपोर्ट प्रति (प्र.पी.5) तैयार की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृत्यु का कारण गला घोंटने से दम घुटने से हुई थी , जो कि मानव वध प्रकृति की है। इस रिपोर्ट के आधार पर, विवेचना अधिकारी ने 24.04.1998 को अपराध क्र.24/1998 प्र.पी-8 के तहत मामला पंजीबद्ध किया। ततपश्यात विवेचना पूर्ण होने पर, 17.07.1998 को अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2007: CGHC:10699

, जिन्होंने मामले को 31.7.1998 को सत्र न्यायालय को उपार्पित किया और अंततः यह मामला 24.09.1998 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुआ , जिन्होंने उसका विचारण किया ।

(3) अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाहों का परीक्षण किया और इसके पश्चात् अभियुक्त अपीलकर्ता का परीक्षण धारा 313 द.प्र.स. के तहत हुआ , जिसमे अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए तत्यो से उसने इंकार किया और अंततः यह स्वीकार किया कि उसने मृतका पर कोई हमला नहीं किया था और उसे केवल इतना ही पता है कि मृतका उल्टी और दस्त से पीड़ित थी। उसने मृतका की हत्या नहीं की है और झूठा फंसाया जा रहा है । यह अभियुक्त द्वारा दिया गया एकमात्र स्पष्टीकरण है ।

(4) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्धि का आधार निम्नलिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर रखा:

(i) अभियुक्त अपीलकर्ता ने मृतका को घटना की तिथि से तीन वर्ष पूर्व अपनी दूसरी पत्नी के रूप में लाया था क्योंकि दोनों में प्रेम था और मृतका अभियुक्त के घर पत्नी के रूप में निवासरत थी;

(ii) अभियुक्त मृतका को पीटता था क्योंकि उसकी दोनों पत्नियों जो की घर में साथ में रहती थी वे आपस में झगड़ा करती थी;

(iii) घटना से मात्र दो दिन पहले, अभियुक्त और मृतका के बीच झगड़ा हुआ था और तब अभियुक्त ने मृतका को ज़हर युक्त चाय देने का प्रयास किया था, पर मृतका ने वह चाय नहीं पी थी;

(iv) मृतका को अभियुक्त के घर से चले जाने के लिए कहने के बाद भी, मृतका उसके घर में पत्नी के रूप में निवास करती रही थी;

(v) मृतका की हत्या अभियुक्त के घर के भीतर गला घोंटने से हुई और मृतका का शव अभियुक्त के घर में मिला और अभियुक्त एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने गांव में प्रचार किया कि मृतका की मृत्यु उल्टी और दस्त तथा हैजा के कारण हुई है;

(vi) मृतका के पिता हीरो राम यादव (अ. सा. क्र.1) एवं अन्य ग्रामीण शव देखने के लिए अभियुक्त के घर गए, किंतु उन्होंने उन्हें शव को देखने की अनुमति नहीं दी क्योंकि जिस कमरे में शव रखा गया था, उसका दरवाज़ा बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया गया था। शव वहां लगभग 24 घंटे रखा रहा और ग्रामीणों द्वारा जबरदस्त दबाव डालने के बाद, 16.04.1998 को लगभग 3 बजे रात को दरवाज़ा खोला और तभी मृतका के पिता ने शव को देखा;

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(vii) मृतका का शव संदिग्ध स्थिति में पाया गया था और इस स्थिति के बारे में कोई स्पष्टीकरण न तो मृतका ने और न ही घर के अन्य सदस्यों ने दिया।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियाँ औरजिन पर विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि आधारित की है, वे अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 302 भ.द.स. के तहत दोषी ठहराकर और उसे आजीवन कारावास से दंडित कर विधि कि त्रुटी कि है |

(6) दूसरी ओर, राज्य के विद्धन अधिवक्ता उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया ।

(7) हमने दोनों पक्षों के विद्धन अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और सत्र न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) जहाँ तक अभियुक्त की उक्त अपराध में संलिप्तता का प्रश्न है, तो कोई प्रत्यक्ष या चक्षुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **धनंजोय चटरर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 SCC 22** में यह विधि प्रतिपादित किया हैं कि:

"परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकला जाना है वे न केवल पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए लेकिन साथ ही सभी स्थापित परिस्थितियाँ ऐसी निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और जो केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना से सुसंगत होनी चाहिए । ऐसी परिस्थितियों का कोई अन्य परिकल्पना का स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए सिवाय अभियुक्त के दोष के, और साक्ष्यों की इस श्रंखला को इतना संपूर्ण होना चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के समर्थन में कोई युक्तियुक्त संदेह का स्थान न रहे। यह स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है कि विधि द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ और न की केवल न्यायालय का दोष दोषसिद्धि का आधार बन सकता है , और अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्यों की जांच उतनी ही सावधानी से करनी होगी ताकि केवल संदेह को सबूत का स्थान न दिया जाए।"

2007: CGHC:10699

(9) इस मामले में, अभियोजन ने आरोपी की अपराध में संलिप्तता को उपरोक्त कंडिका 4 में उल्लिखित परिस्थितियों के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। जहां तक इन परिस्थितियों का संबंध है, मृतका के पिता, हीरो राम यादव (अ. सा.क्र.1) ने कथन किया है की अभियुक्त उसकी पुत्री को अपने घर उनके बीच प्रेम के संबंध के कारण , लगभग तीन वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना के पूर्व ले गया था। धरम (आरोपी के भाई) ने उसे बताया था कि मृतका की मृत्यु उल्टी और दस्त के कारण हुई है। इस सूचना पर, वे मृतका को देखने के लिए उसके घर गए। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि अभियुक्त, उसके पिता और भाई धरम ने घर का ताला लगा दिया है और उन्होंने मृतका का शव देखने की अनुमति नहीं दी। सरपंच भी वहाँ उपस्थित थे, जिन्हें इस तथ्य की जानकारी दी गई, जिस पर सरपंच ने कहा कि वे क्या कर सकते है ? इस पर पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत में भीअपीलकर्ता के परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें मृतका का शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। इन सब के बाद वे पुलिस थाने गए और पुलिस को पूरी कहानी बताई और पुलिस ने कहा कि पहले वे मृतका का शव देखें और तभी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करे । वे गाँव लौट आए और उसके अगले दिन सुबह भीम एवं सुदन के साथ मिलकर अभियुक्त के घर गए और तभी वे मृतका का शव देख पाए ।उन्होंने कथन किया उन्होंने मृतका के शरीर पर चोटें देखी । मृतका के गले, दोनों कंधों, गालों, चेहरे एवं नाक पर चोटें लगी थीं।इसके बाद वे पुनः पुलिस थाने गए, पूरी कहानी बताई और रिपोर्ट दर्ज करवाई।उन्होंने रिपोर्ट की अंतवस्तु का समर्थन किया। उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि उन्होंने शव के पास न तो उल्टी का कोई निशान और न ही मल-मूत्र देखा। दूसरे गवाह भीम यादव (अ. सा.क्र.2) ने भी कथन किया की उन्होंने मृतका को घटना से एक दिन पूर्व तक स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट अवस्था में देखा था। चूँकि मृतका साक्षी की बहन (चचेरी) थी, इसलिए उन्हें मृतका के देवर धरम राम से पता चला कि उसकी मृत्यु उल्टी, दस्त एवं हैजा के कारण हुई है। इस सूचना पर, जब वे अपीलकर्ता के घर पहुँचे, तो उसने देखा कि सरपंच आदि, उसके घर में बैठक कर रहे थे और अपीलकर्ता एवं उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें मृतका का शव देखने की अनुमति नहीं दी थी । यह बैठक शाम 4 बजे तक चली लेकिन इसके बावजूद , ग्रामीणों को शव देखने की अनुमति नहीं मिली।उन्होंने कहा कि जब अपीलकर्ता के परिवार ने उन्हें शव देखने की अनुमति नहीं दी तो उन्हें संदेह हुआ कि परिवार ने ही उसकी हत्या कर दी है और यदि मृतका की मृत्यु उल्टी और दस्त की वजह से हुई होती तो परिवार के सदस्य शव देखने से क्यों रोकते ।उसने कथन किया की जब उसने मृतका का शव देखा तब उसने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे विशेष रूप से गले पर चोट के निशान देखे और उसने शव के आस-पास न तो उल्टी के कोई तत्व और न ही मल-मूत्र देखा। उसने अ.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2007: CGHC:10699

सा.क्र.1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं का समर्थन किया। प्रतिपरीक्षण में उसने यह बताया कि मृतका और अपीलकर्ता के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मृतका ने सरपंच को किया था। बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में, कंडिका 4 एवं 5 में इस गवाह ने कथन किया की अपीलकर्ता की प्रथम पत्नी और मृतका के बीच अकसर झगड़े होते थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों सामान्य तरह से रह रही थीं। लगभग समान साक्ष्य अभिलिखित करवाया अ. सा.क्र.3, वीरेंद्र कुमार ने, जिन्होंने कथन किया कि अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों ने उन्हें शव देखने की अनुमति नहीं दी और ग्राम पंचायत में अपीलकर्ता कह रहा था कि पंचायत इस मामले का निराकरण करे, इसके लिए वह ₹5000/- देने को तैयार है। उन्होंने यह भी कथन किया कि घटना दिनांक से पहले, वे मृतका से मिले थे, और मृतका ने उन्हें कहा था कि अपीलकर्ता उसे घर छोड़ने के लिए दबाव दे रहा है और जब उसने विरोध किया, तो उसने उसके दाहिने हाथ पर चाकू से हमला किया। मृतका ने यह भी बताया था कि अभियुक्त ने उसकी चाय में ज़हर दिया है और इसी कारण वह मंगलवार को ग्राम पंचायत बुला रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) अ. सा. क्र.4, भदरसाय कंवर और अ. सा.क्र. 5, सागर साय कंवर को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया क्योंकि उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया।एक अन्य गवाह अ. सा. क्र. 6 सीताराम पैकड़ा, जो ग्राम सरपंच हैं। उन्होंने कथन किया की मार्च महीने, में मृतका पंचायत में आई और शिकायत की कि अपीलकर्ता उसे अपने घर रखने के लिए इच्छुक नहीं है और उसने उसे उसकी चाय में ज़हर मिलाया है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि मृतका की मृत्यु उसी दिन की मध्यरात्रि को हुई, जिस दिन उसने शिकायत दर्ज की। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता एक अन्य व्यक्ति के साथ उनके पास आया और उसे सूचना दी कि मृतका की मृत्यु उल्टी और दस्त के कारण हो गई है। यह सुनकर, वह बुधियाराम चौकीदार, नागेश्वर साय, उप सरपंच तथा अन्य ग्राम सदस्यों के साथ अपीलकर्ता के घर गये। उसने बताया कि शव देखने के बाद उसने ग्रामीणों को अगले दिन पुलिस थाने भेजा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए और पुलिस के गाँव पहुँचने के बाद वह शव देखने गया और मृतका के गले पर एक काला धब्बा देखा। उसने यह भी कहा कि मृतका द्वारा दिये गए शिकायत पुलिस को सौंपी गई थी जिसकी प्रति (प्र.पी.4), जिस शिकायत पर मृतका के अंगूठे के निशान अ से अ तक उपस्थित हैं। प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने बताया कि परिवाद को लिखित रूप से उसने मृतका मनमाती के निर्देशानुसार तैयार किया प्रति प्र.पी.4 था और उसने उस पर अपने अंगूठे के निशान लगाये थे। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि दस्तावेज़ पर मृतका का अंगूठे का निशान नहीं है बल्कि किसी और का है।

(11) उपरोक्त गवाहो के साक्ष्य के अतिरिक्त, डॉ. (श्रीमती) किरण केर्केट्टा (अ. सा. क्र. 7) ने अपने परीक्षण में कहा कि उन्होंने 17.04.1998 को सुबह लगभग 10 बजे मृतका की शव परीक्षा की और तब उसने देखा की शव सड़ने की स्तर में था। दोनों आंखें बंद थीं और जीभ दांतों के बीच दबाई हुई थी। शरीर के एक तरफ एक खरोंच जो दाहिने हाथ की कलाई पर माप 1½ सेमी × ½ सेमी, का एक खरोंच था , जिसकी अवधि लगभग एक सप्ताह की थी और वह कठोर व कुंद वस्तु से हुआ था और वह मृत्यु पूर्व का था।एक स्पष्ट निशान गले के दाहिनी ओर था जो कि गले को अंगूठे से दबाव के कारण हुआ था ,जो नील के प्रकार का था ,जिसका माप 3 सेमी × 1½ सेमी था ,और यह आड़ा स्तिथ था । गले के बाईं ओर दो उंगलियों के निशान (नीला) भी पाए गए, जिनका माप सेमी 5 सेमी × 1 सेमी था और वे तिरछे नीचे की ओर थे। गले पर कई उंगलियों के दबाव के निशान/चिन्ह (नील) , उसके गले पर ठीक जबड़े के नीचे , जो की, कॉरोना थायरॉइड (गले की गहरी हड्डी) तक फैले हुआ था । उसने विशेष रूप से कहा कि ये सभी चोटें मृत्यु पूर्व की प्रकृति की थीं।आंतरिक परीक्षण में, उसने पाया कि इन चोटों के नीचे के नरम ऊतक दबाव के कारण सूजे हुए थे, हृदय का बायां कक्ष खाली था जबकि दायां कक्ष कुछ रक्त लिए हुए था।उसने राय दी कि मृत्यु गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई है और इसकी प्रकृति मानव वध की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त गवाहों के खिलाफ कोई विपरीत साक्ष्य नहीं मिला है । मृतक के पिता और उसके चचेरे भाई के साक्ष्य के आधार पर, यह स्थापित है की मृतका लगभग तीन वर्ष पूर्व घटना से पहले अपीलकर्ता की दूसरी पत्नी के रूप में रह रही थी उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिन्हें मृतका ने पंचायत में भी दर्ज कराया है घटना से पूर्व, पंचायत ने मृतका को अपीलकर्ता को सौंप दिया था और वह अपीलकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसी घर में रह रही थी। यह भी स्थापित है कि घटना के एक दिन पूर्व, अपीलकर्ता ने मृतका को चाय परोसी थी जिसमें मृतका के अनुसार कुछ विषाक्त पदार्थ थे ,जिस पर मृतका ने इसे पीने से इंकार कर दिया और तब अपीलकर्ता ने तुरंत चाय उसके हाथ से छीन ली और फेंक दी, तब मृतका ने देखा कि चाय में काला पाउडर जैसा कुछ पदार्थ है, इस वजह से , मृतका सरपंच से मिली और उसने शिकायत दर्ज कराई, जिसे सरपंच ने लिखित रूप में लिखा और मृतका ने उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया, लेकिन पंचायत के कुछ भी कर पाने से पहले, उक्त घटना हो गई , उसी मध्यरात्रि को जिस्मे सरपंच को शिकायत दर्ज कराई थी यह घटना हो गयी ।यह भी स्थापित हुआ की मृत्यु के बाद, उसके पिता एवं अन्य परिवार के सदस्य

2007: CGHC:10699

अपीलकर्ता के घर गए लेकिन उन्हें मृतका का शव नहीं दिखाने दिया और पंचायत के बाद भी उन्हें शव नहीं दिखाया और अंतत: जबरदस्त दबाव डालने के परिणामस्वरूप, अगले दिन, उन्हें मृतका का शव देखने की अनुमति मिली और जिसके बाद ही , पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई ,तब ही विवेचना प्रारम्भ हुई ।इसके अलावा , सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का आचरण जिस्मे उन्होंने गांव में प्रचार शुरू किया कि मृतका की मृत्यु उल्टी, दस्त और हैजा के कारण हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नज़र आरहा है कि उसकी मौत गला घोंटने से दम घुटने के कारण से हुई और अंततः डॉक्टर के साक्ष्य से यह स्थापित है कि यह मानव वध है।

(13) यह स्वीकृत है, कि हत्या अपीलकर्ता के घर में हुई, जिसका अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। अपीलकर्ता का आचरण यह दर्शाता है कि वह ना कोई संभाव्य और युक्तियुक्त बचाव प्रस्तुत कर सका जिसमें मृतका की मानव वध की प्रकृति की नहीं थी, और न ही यदि वह मानव वध थी तो उसकी जिम्मेदार वह नहीं है । उसकी धारा 313 द.प्र.स के परीक्षण में, उसने केवल यही स्पष्टीकरण दिया कि "उसने मृतका पर कोई हमला नहीं किया है और उसे केवल इतना पता है कि मृतका उल्टी और दस्त से पीड़ित थी और वह कुछ नहीं जानता। वह दोषी नहीं है और उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है।" भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों के अनुसार, "जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है।" चूंकि मृतका अपीलकर्ता की पत्नी थी और घटना वाली रात में उसके घर जीवित अवस्था में उसकी उपस्थिति से अपीलकर्ता ने इनकार नहीं किया था , अतः, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, अभियुक्त पर यह दायित्व था कि वह पुलिस को सच्ची और सही सूचना देनी चाहिए थी कि मृतका की मृत्यु किन परिस्थितियों में घटित हुई थी। इन सब बातों को न बताते हुए, इसके विपरीत अपीलकर्ता ने केवल यह स्पष्टीकरण दिया कि मृतका की मृत्यु उल्टी, दस्त तथा हैजा से हुई, जो अंतत: कि ऊपर उल्लिखित अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर झूठा पाया गया ।

(14) इस मामले की तत्यों और परिस्थितियों के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत, अभियुक्त पर यह स्पष्ट करने का भार था की किन परिस्थितियों उसकी पत्नी की हत्या हुई। केवल मौन रहने से भार उन्मोचित नहीं हो जाता जो अभियुक्त पर था । इसमें कोई संदेह नहीं कि, आपराधिक मामले में प्रारंभ में अभियोजन को अपराध के तत्वों को स्थापित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करना होता है, तत्पश्चात् भार परिवर्तित होता है अभियुक्त पर उन्मोचन का भार अभियोजन के साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करके या अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर यह दर्शाए कि मृतका की हत्या कैसे हुई। अभियोजन अपने भार को उन्मोचित करने में सफल रहा , जबकि अभियुक्त अपने भार को उन्मोचित करने में असफल रहा, जो उसके ऊपर था | साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों के अनुसार । इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के दो नवीनतम निर्णय महत्वपूर्ण हैं। **त्रिमुख मरोटी किरकण बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 AIR SCW 5300** मामले में, उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की व्याख्या करते हुए कहा: *"..... यदि कोई अपराध घर* के एकांत में होता है *और ऐसी परिस्थितियों में* जहाँ *हमलावर को अपराध की* योजना बनाने का और उसे करने का पूरा अवसर मिलता है *अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार , तब अभियोजन के लिए* बेहद *कठिन हो जाता है साक्ष्यों से अभियुक्त का दोष* स्थापित *करना अगर सख्त सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित* ना हो , *जैसे की ऊपर उल्लिखित है, न्यायालय द्वारा ज़ोर ना दिया जाए। न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए दांडिक विचारण का संचालन नहीं करता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए।*एक *न्यायाधीश यह भी* देखने के लिए संचालन करता है कि कोई दोषी व्यक्ति बच ना निकले । *जहाँ हत्या जैसे अपराध घर के अंदर गुप्त रूप से किए जाता हैं, तो प्रारंभिक भार मामले को स्थापित करणे का निस्संदेहपूर्ण अभियोजन पर है, परंतु उस पर लगाए गए अरोप को प्रमाणित करने के लिए जिस प्रकृति के सक्ष्यों की आवश्यकता है, वह अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वाले मामलों* में *भार उसकी तुलना में अपेक्षाकृत हल्की होती है। धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, घर के सदस्यों पर भी यह भर होता है कि वे स्पष्ट रूप से समझाएं कि अपराध कैसे हुआ। घर के सदस्य* केवल साधकर या कोई स्पष्टीकरण ना देकर यह मानकर कि अभियोजन पर ही सम्पूर्ण भार है और अभियुक्त पर कोई दायित्व नहीं है की वो कोई स्पष्टीकरण दे । स्पष्टीकरण ना देना या झूठा स्पष्टीकरण देना वह एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है| परिस्थितियों की श्रृंखला में।"

(15) आगे **"राजस्थान राज्य बनाम काशी राम" 2006 ए आई आर एस सी 5768** के मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कहा:

"क्या धारा *106* के अंतर्गत कोई अनुमान लगाया जाना चाहिए, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे साबित तत्यों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए । यह अंततः साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है और, प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। जब उत्तरवादी,अभियुक्त मृतिका के साथ

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अंतिम बार देखा गया, तो यह साबित करने का भार उस पर हैं कि उसके बाद क्या हुआ , क्योंकि वे तथ्य विशेष रूप से उसकी जानकारी में थे । चूँकि उत्तरवादी ऐसा करने में असफल रहा, तो यह माना जाएगा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा *106* के अनुसार उस पर जो भार था वह उसने उन्मोचित करने में विफल रहा।यह परिस्थिति, इसलिए, ऐसी परिस्थितिया लुप्त कड़ी है जो इस श्रृंखला को पूरा करती है जो उसके दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करती है।"

न्यायालय ने आगे कहा:

"...यह सिद्धांत भली-भांति स्थापित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान स्वयं स्पष्ट और विशेष रूप से कहते है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो, तब उस तथ्य को सिद्ध करने का भार भी उसी पर होता है। यदि कोई व्यक्ति मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया है, तो उसे यह बताना होगा कि कब और कैसे वह उससे अलग हुआ । उसे न्यायालय के समक्ष ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, जो संभावित व संतोषजनक लगे। यदि वह ऐसा कर लेता है, तो माना जाएगा की उसने अपना भार उन्मोचित कर दिया । यदि वह विफल हो जाता है स्पष्टीकरण देने में ऐसे तथ्य जो विशेष रूप से उसके जानकारी में थे, तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार उस पर जो भार था उसको उन्मोचित करने में विफल रहता है ।परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में यदि अभियुक्त युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं देता तो वह उसके ऊपर डाले गए भार को उन्मोचित करने में विफल रहता है, तो यह भी उसके विरुद्ध साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है। धारा 106 सबूत का भार परिवर्तित नहीं होता दांडिक विचारण में, जो हमेशा अभियोजन पर होता है ।यह नियम निर्धारित करता है की जब अभियुक्त उन तथ्यों पर प्रकाश नहीं डालता जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में है और जो उसकी निर्दोषता के अनुकूल कोई सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते है, तो न्यायालय उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण देने में विफलता को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में मान सकता है जो श्रृंखला को पूरा करती है ।यह सिद्धांत को संक्षेप में **नैना मोहम्मद** के मामले रिपोर्टेड किया गया है **1960 MADRAS 218** ।

(16) वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला है कि मृतका का गला किस प्रकार घोंटा गया, उसे चोटें कैसे आईं, और यह घटना किन परिस्थितियों में हुई। इसके विपरीत, अभियुक्त ने ग्रामीणों व पुलिस को गुमराह किया की मृतका की मौत साधारण रूप से उल्टी, दस्त और हैजा से हो गई है, और ऐसा करना उसके कथित अपराध को छुपाने के आशय को दर्शाता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2007: CGHC:10699

(17) उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभियोजन अभियुक्त के अपराध में संलिप्तता को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे स्थापित करने में सफल रहा हैं, और परिस्थितियाँ, जो कि ऊपर उपरोक्त कंडिक 4 में ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा पूरी तरह से अभियोजन ने स्थापित की है और विचारणीय न्यायालय ने सही रूप से अपीलकर्ता को धारा 302 भ.द.स.के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया है जैसे की ,उपरोक्त संदर्भित परिस्थितियां , इस अकाट्य निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि अभियुक्त ही अपराध का कर्ता था और अभियुक्त के निर्दोष होने की कोई संभावना नहीं थी । विचारणीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है जिसमे इस अदालत द्वारा अपील में हस्तक्षेप किये जाने कि आवश्यकता हो।

(18) यह अपील सारहीन है, इसलिए यह अपील खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार ख़ारिज की जाती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति।

सही
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायधीश

Translated by Advocate Kokila Rakesh Sharma

Disclaimer - हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।